



संख्या ~~3227~~ जी0एस0(शिक्षा)/A3-52(6)/2022

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 26 अप्रैल, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240511111441, दिनांक 20.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वौड़, नैनीताल को बी0एससी0, बी0ए0, एम0ए0, एम0कॉम0 एवं बी0एड0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वौड़, नैनीताल।	बी0एससी0-गणित ग्रुप (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	60 सीट प्रति ग्रुप	2024-25
		बी0एससी0-बायो ग्रुप (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान)		
		बी0ए0 (संस्कृत शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं भूगोल)	80 सीट प्रति विषय	
		बी0एड0	50 सीट	
		एम0कॉम0	40 सीट	
		एम0ए0	40 सीट प्रति	

	(हिन्दी, अंग्रेजी)	विषय	
--	--------------------	------	--

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में भवन मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria (स्वाति एस0 भदौरिया)
Date: 25-04-2025 11:51:28 कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : 3227(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-52(6)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by आज्ञा से,
Shri Laxman Ram Arya
Date: 26-04-2025
12:37:23 (लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।